यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** के माह जुलाई 2015 से फरवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सिन्हा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, श्री निखिल जोशी लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 3/03/2018 से 14/03/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव,वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण मे सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** की विगत लेखापरीक्षा दिनांक 25/07/2015 से 07/08/2015 तक सर्व श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री भीमसेन सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी में निष्पादित की गई थी। जिसके अंतर्गत माह 06/2013 से 06/2015 तक के लेखाभिलेखों की जाँच की गई थी। वर्तमान में माह जुलाई 2015 से फरवरी 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण किया गया ।

2. (i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

क्रियाकलाप:- खण्ड के अंतर्गत आने वाले मार्गो का नव निर्माण एवं रखरखाव एवं निरीक्षण।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

विकास खण्ड सहिया,विकास खण्ड विकास नगर, विकास खण्ड कालसी एवं विकास खण्ड सहसपुर के अन्तर्गत आने वाले मार्गो, सेतुओ का निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य

` लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	--	--	617.87	609.45	5561.74	5561.69	--	
2015-16	--	--	657.55	628.00	3503.58	3503.97	--	
2016-17	--	--	662.21	640.25	2824.28	2823.22		
2017-18 (माह 02/2018 तक)	--	--	695.80	662.65	3107.14	2961.69		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	**शून्य**					
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

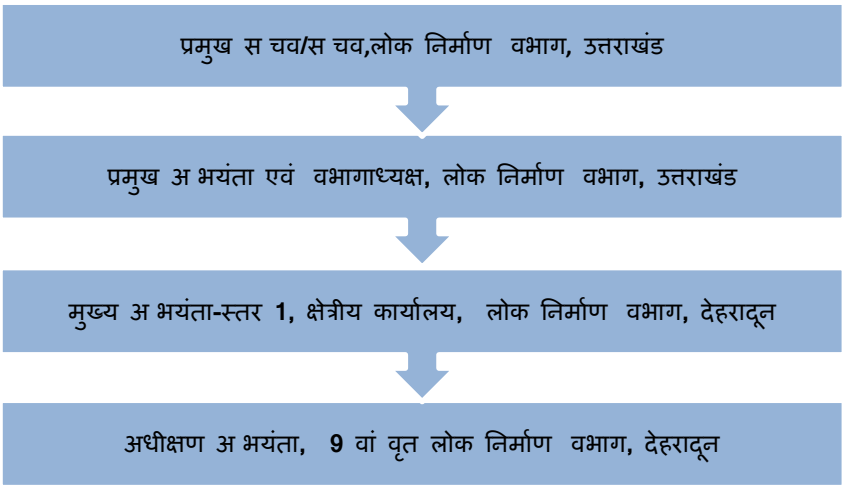

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** के माह जुलाई 2015 से फरवरी 2018 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जुलाई -2016 एवं फरवरी 2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया विधान सभा क्षेत्र चकराता मे कालसी से चकराता मोटर मार्ग पुनः निर्माण एवं हॉट मिक्स का कार्य।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(iii) लेखा परीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखाकार के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम,1971(डी पी सी एक्ट,1971) की धारा तथा लेखा परीक्षा विनियम,2007तथा लेखा परीक्षण मानको के अनुसार संपादित की गई।

(iv) खंड के उच्चन्त लेखा के अवशेष माह फरवरी 2018 के अंत में।

(क)प्रकीर्ण अग्रिम	-4322327.80
(ख)सामग्री क्रय	शून्य
(ग) नगद परिशोधन	शून्य
(घ) निक्षेप	21704412.00
(ङ)भंडार	614040

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1: वित्तीय नियमो के विपरीत रुपए 40.00 लाख का सुरक्षित अग्रिम दिया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 456 के अनुसार "Advances to contractors are as a rule prohibited, and every endeavour should be made to maintain a system under which no payments are made except for work actually done. Exceptions are, however, permitted in the following cases " Divisional officers are responsible that—

When secured advances have been made for materials, recoveries are made regularly from the very first payments made for those items of actual work in which such materials have been used. (ii) No secured advances are made for any materials, unless they are to be used within three months at the most. (iii) Materials are actually measured in detail before making secured advances on them and their value is based on the actual rates for the purposes of determining the percentage at which secured advances on materials should be made.

NOTE-- Imperishable materials include bricks, rolled steel joists, etc. while articles such as lime, sand, kankar, etc, are perishable. Coal is, however, excluded from both the categories and no advance is permissible on this article.

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खंड लोक निर्माण विभाग सहिया के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में देखा गया कि खण्ड द्वारा अनुबंध संख्या 10/एस ई-9 दिनांक5/7/2013 के सापेक्ष दिनांक 31.12.14 को 40.00 लाख का सुरक्षित अग्रिम प्रदान किया गया था एवं उक्त धनराशि लेखा परीक्षा (02/2018)तक भी खण्ड द्वारा समायोजित नहीं की गई थी जबकि अनुबंध का 15/2/2016 को अंतिमिकरण किया जा चुका था इस ओर लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अंतिम देयक तैयार कर भुगतान हेतु खण्ड कार्यालय में लंबित है

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि अनुबंध का अंतिमिकरण 15/2/2016 को किए जाने के 02 वर्ष उपरांत भी अग्रिम का समायोजन/वसूली खण्ड द्वारा नहीं किया गया था जो कि वित्तीय नियमो के विपरीत था

अतः वित्तीय नियमो के विपरीत रुपए 40.00 लाख के सुरक्षित अग्रिम को 39 माह उपरांत भी समायोजित न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2: निर्धारित दरों से रॉयल्टी वसूल न करने पर रुपए 1547586 कम की रॉयल्टी प्राप्त होना।

उत्तराखण्ड शासन औधो गक वकास अनुभाग -1 संख्या-211/VII-1/24-ख/2007देहरादून दिनांक 26/2/2016 से रॉयल्टी की दर रुपए 194.50 एवं दिनांक 19 मई 2016 को शासन के पत्रांक संख्या 842 द्वारा पूर्व जारी दरों को संशो धत करते हुये रुपए 154.00 प्रतिघन से कटौती के आदेश निर्गत कए गए थे एवं उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से जारी थे।

अ धशासी अ भयन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण वभाग सहिया के वाउचरो की नमूना जांच के दौरान पाया गया की खण्ड द्वारा वाउचर संख्या 27 दिनांक 02/2018 के साथ संलग्न रॉयल्टी ववरण में रॉयल्टी की कटौती वर्तमान दर रुपए 154.00 से न कर रुपए 80/90 से की गई थी जिस कारण रुपए 1547586.00* रुपए की कम रॉयल्टी खण्ड द्वारा वसूल की जा रही थी लेखा परीक्षा द्वारा इस और इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया जांच उपरांत संशो धत रॉयल्टी की दरों से वसूली की जाएगी। खण्ड के उत्तर से स्पष्ट है क खण्ड द्वारा रॉयल्टी की वसूली नई दरों से न कर पुरानी दरों से ही की जा रही है

अतः नई दरों से रॉयल्टी की वसूली न करने के कारण कम रॉयल्टी वसूलने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

*21232.22x154.00=3269761.88-1722175.48=1547586

भाग -2 (ब)

प्रस्तर-3: अधिक मात्रा में बीएम/एसडीबीसी के प्रयोग के कारण व्ययधिक्य:- रु 37.87 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 6968/III(2)/13-38(प्रा. आ.)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर 2013 के द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र विकासनगर में यात्रिक होटल से शक्ति नहर पूल संख्या-1 तक मार्ग के पुनः निर्माण कार्य (लंबाई 1.40 किमी) हेतु रु 346.46 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकर्ति प्रदान की गयी थी। कार्य के लिए उतनी ही राशि (रु 346.46 लाख) की प्राविधिक स्वीकर्ति 01 फरवरी 2014 को मुख्य अभियंता (स्तर-1), लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी थी। अभिलेखो के जांच में यह पाया गया कि कार्य सम्पादन के लिए निविदा 27 दिसम्बर 2013 को तकनीकी स्वीकर्ति (01 फरवरी 2014) के पूर्व ही आमंत्रित कर दी गयी थी और निविदा परामर्शी समिति के अनुमोदन के पश्चात न्यूनतम निविदादाता मेसर्स RG Buildwell प्राइवेट लिमिटेड को रु 236.96 लाख में पुनरीक्षित Schedule-B के आधार पर प्रदान की गयी थी। इस कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित अनुबंध संख्या 39/SE-09/2013-14 दिनांक 17 फरवरी 2014 के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमश: 17 फरवरी 2014 और 16 फरवरी 2015 थी। वर्तमान में अंतिम देयक संख्या 82 दिनांक 20 जुलाई 2017 के अनुसार कार्य अगस्त 2016 में पूर्ण हो गया था। इस देयक तक रु 277.26 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

मार्ग के प्रतिवेदन के अनुसार मार्ग में चौड़ीकर्त किए जाने वाले भाग में जी-1, जी-2, जी-3, एवं बीएम (50 mm की मोटाई में) का कार्य संपादित किया जाना था जबकि मार्ग की पूर्ण चौड़ाई 7.50 मीटर (पूर्वनिर्मित-5.50 मीटर तथा चौड़ीकर्त भाग-2.00 मीटर) में 25 mm की मोटाई में एसडीबीसी का कार्य किया जाना प्रस्तावित था। विस्तृत माप के अनुसार, मार्ग के स्वीकर्त लंबाई (1400 मीटर) के दोनों ओर एक-एक मीटर यथा कुल दो मीटर के प्रस्तावित चौडीकरण वाले भाग में जी-3 के द्वारा 2269.467 वर्गमीटर (170.21 घनमीटर/0.075 मीटर) में कार्य कराया गया था जो कि प्राक्कलित मात्रा 210 घनमीटर से 39.79 वर्गमीटर कम था। अंतिम देयक से ज्ञात होता है कि मार्ग के चौड़ीकर्त भाग के 1875.99 वर्गमीटर को primer coat से आच्छादित किया गया था जो यह इंगित करता है कि मार्ग का चौडीकरण 1400 मीटर से सापेक्ष 937.99 मीटर (1875.99 वर्गमीटर/ 2 मीटर, यदि मार्ग का चौड़ीकरण 2 मीटर किया गया था।) में हुआ था। जी-3 के द्वारा आच्छादित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 2269.467 वर्गमीटर था, में 113.473 घनमीटर बीएम का प्रयोग किया जाना चाहिए था। परंतु, इसके विपरीत यह पाया गया कि इस क्षेत्रफल में 266.18 घनमीटर बीएम का प्रयोग किया गया था जो कि वांछित मात्रा से 152.71 घनमीटर (134.58 प्रतिशत) अधिक था।

इस प्रकार, वांछित मात्रा से अधिक बीएम के प्रयोग के कारण रु 9,77,344.00 अधिक व्यय किया गया था। पुनः एसडीबीसी को बिछाने के लिए 8811.27 वर्गमीटर में tackcoat बिछाया गया था और इस आधार पर 220.28 घनमीटर (क्षेत्रफल गुणा एसडीबीसी की मोटाई = 8811.27 वर्गमीटर गुणा 0.025 मीटर) एसडीबीसी की मात्रा का प्रयोग किया जाना चाहिए था परंतु, इसके विपरीत यह पाया गया कि इस क्षेत्रफल में 580.54 घनमीटर एसडीबीसी का प्रयोग किया गया था जो कि वांछित मात्रा से 360.26 घनमीटर (163.54 प्रतिशत) अधिक था जिसकी लागत रु 28,10,028.00 आती है। इस प्रकार, वांछित मात्रा से अधिक बीएम एवं एसडीबीसी कि प्रयोग के कारण रु 37,87,372.00 की अधिक राशि का व्यय किया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि अधिक मात्रा में बीएम एवं एसडीबीसी के प्रयोग का मूल कारण सतह सुधार एवं अन्य मार्ग पर बीएम/एसडीबीसी से कार्य कराया जाना था।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा अन्य मार्ग, जिन पर बीएम/एसडीबीसी से कार्य कराया गया था, का कोई भी उल्लेख उत्तर में नहीं किया गया था और इस व्ययवर्तन के कारण भी इंगित नहीं किए गए थे।

अत: प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1: व्यपगत निक्षेप धनराशि को राजस्व शीर्ष में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग -6 के प्रस्तर622(iii) के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से ज्यादा अवधि के अदावीत(unclaimed) धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में डाल दी जानी चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खंड लोक निर्माण विभाग सहिया के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में देखा गया कि खण्ड द्वारा संधारित कि जा रही निक्षेप पंजिका के भाग-2में रुपए 8797733.00 की धनराशि लम्बी अवधि के उपरांत भी असमायोजित पड़ी हुई थी लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया की तीन वर्ष से अधिक की धनराशि को शीघ्र ही राजस्व मद में क्रेडिट का समायोजित का लिया जाएगा।

खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि काफी लम्बे समय से निक्षेप पंजिका में असमायोजित दर्शाई जा रही है एवं खण्ड द्वारा पूर्व में ही उक्त कार्यवाही कर धनराशि को समायोजित कर लिया जाना चाहिए था

रुपए 8797733.00 की धनराशि को समायोजित न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर	
		A	B
1	40/95-96	-	2
2	141/96-97	-	1,2
3	327/98-99	1	-
4	06/01-02	-	1,2,3
5	13/02-03	1	2,3
6	22/03-04	-	06
7	33/04-05	1	1,2,3,5
8	21/05-06	1	-
9	03/06-07	1	-
10	46/07-08	-	02
11	64/08-09	2,3	3
12	36/11-12	1,2	1
13	33/12-13	-	1
14	54/13-14	-	2
15	45/15-16	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या सक्षम अधिकारी की संस्तुति उपरांत कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी ।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1.	श्री मुकेश परमार	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखा परीक्षा से 22/11/2017
2.	श्री डी.पी.सिंह	अधिशासी अभियन्ता	22/11/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्डलोक निर्माण विभाग, सहिया को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, द्वितीय तल, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र -2